उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 126/2022

अनवान : –

1. जैतरूप
2. बलवान
3. सुभाष

} पिसरान जगदीशप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भोजासर त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भोजासर त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण गर्ग व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी:– मु0 न0 9 किला न0 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, मु0 न0 10 किला न0 10 ता 14, 16 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 11 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 19, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 19 किला न0 1 ता 10, 13 ता 15, मु0 न0 20 किला न0 1 ता 15, मु0 न0 21 किला न0 1, 2, 9 ता 12, मु0 न0 33 किला न0 1, 2, 9 व 12 कुल रकबा 18.975है0 जिसमे से बारानी 18.060है0, गै0 मु0 रास्ता 0.156है0, नहरी 0.759है0 दर्ज है में सरस्वती पत्नी रामेश्वर के नाम से 303/6325 हिस्सा यानि 0.909है0 दर्ज है, में से सरस्वती पत्नी रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादीगण सं0 1 जैतरूप, वादीगण सं0 2 बलवान, वादीगण सं0 3 सुभाष के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 0.656है0 व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार को 0.253है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राज.) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

प्र0न0 — 126/2022

अनवान : —

1. जैतरूप
2. बलवान
3. सुभाष

} पिसरान जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कृष्ण गर्ग वादी
श्री सुरजीत बिजारणियां प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांकः 17/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भोजासर के खसरा सं0 63, 144, 227 की कुल 44 बीघा 10 बिस्वा खाम भूमि सह खातेदारों के साथ होती थी। श्री गणपतराम के बेटे रामेश्वर की गणपत के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई थी। सरस्वती पत्नी रामेश्वर लावल्द फौत हो चुकी है। श्री गणपतराम ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की बाबत दिनांक 03.05.1957 को एक तमकीलनामा इस अमर का तहरीर करवा दिया की उसके नाम दर्ज खातेदारी में से 32—2 बीघा वादीगण के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम तहरीर करवा दिया तथा 12 बीघा सरस्वती बेवा रामेश्वर के नाम इस अमर का तहरीर करवा दिया की 12 बीघा जमीन खाम उसको रामेश्वर की पत्नी सरस्वती अपने जीवन प्रयंत काश्त करेगी और उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का मालिक भी जगदीशप्रसाद पिता वादीगण होगा। रोही मोजा भोजासर की उक्त खातेदारी चक 6 बारानी व चक 1 बीएचडी में पैमूद हुई जिसका विवरण चक वाईज निम्न है।

चक 6 बारानीः— मु0 न0 9 किला न0 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, मु0 न0 10 किला न0 10 ता 14, 16 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 11 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 19, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 19 किला न0 1 ता 10, 13 ता 15, मु0 न0 20 किला न0 1 ता 15, मु0 न0 21 किला न0 1, 2, 9 ता 12, मु0 न0 33 किला न0 1, 2, 9 व 12 कुल रकबा 18.975है0 जिसमे से बारानी 18.060है0, गै0 मु0 रास्ता 0.156है0, नहरी 0.759है0 दर्ज है

चक 1 बीएचडीः— मु0 न0 60 के किला न0 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 61 किला न0 11, 20 ता 25, मु0 न0 66 किला न0 23, मु0 न0 67 किला न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0 न0 68 किला न0 3, 7, 8, 13, 14, 16 ता 18, मु0 न0 73 किला न0 1 ता 15, 20, मु0 न0 74 किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 20/2 कुल रकबा 18.975है0 जिसमें से नहरी 18.632है0 गै0 मु0 रास्ता 0.168है0, गै0 मु0 खाला 0.175है0 खातेदारी भूमि दर्ज है।

उक्त भूमि चक 1 बीएचडी व 6 बारानी में पैमूद होने के बाद उक्त तमकीलनामा के मुताबिक वादीगण के पिता जगदीशप्रसाद व सरस्वती बेवा रामेश्वर के नामान्तरण सं0 2 दर्ज होकर तस्दीक हुआ जिसके मुताबिक वादीगण के पिता के नाम से 383–264/441 दर 3000 व सरस्वती बेवा रामेश्वर के नाम 143–177/441 दर 3000 दर्ज हुआ। व चक 6 बारानी नामान्तरण सं0 15 के जरिये वादीगण के पिता जगदीशप्रसाद के नाम 383–264/441 दर 3000 व सरस्वती बेवा रामेश्वर के नाम 143–177/441 दर 3000 दर्ज हुआ। मु0 सरस्वती बेवा रामेश्वर के नाम उक्त नामान्तरण दर्ज होने के बाद मु0 सरस्वती के नाम दर्ज पुख्ता 7–03 बीघा का एक नुमाईसी वसीयतनामा दिनांक 16.11.1995 प्रतिवादी कृष्णकुमार ने मु0 सरस्वती से तहरीर करवा लिया जिसके मुताबिक उसके नाम दर्ज तमाम चल व अचल सम्पति प्रतिवादी को मिलने का अंकन दर्ज करवा दिया। जबकि मु0 सरस्वती को उक्त भूमि अपने ससुर गणपत से इस शर्त के साथ प्राप्त हुई थी की वह तमलीकनामा के मुताबिक 12 बीघा भूमि अपने जीवनप्रर्यंत केवल काश्त कर सकती थी और उसकी मृत्यु के बाद उक्त 12 बीघा भूमि भी वादीगण के पिता जगदीशप्रसाद को प्राप्त होनी थी। लेकिन प्रतिवादी ने चालाकी से उक्त वसीयतनामा के मुताबिक चक 1 बीएचडी में सरस्वती के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरण दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी को पता था की मु0 सरस्वती उक्त भूमि केवल अपने जीवनप्रर्यत काश्त करने की हकदार है। चक 6 बारानी की खातेदारी में अभी भी सरस्वती पत्नी रामेश्वर के नाम 303/6325 हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का भी नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। जबकि प्रतिवादी को पता है कि सरस्वती देवी के नाम दर्ज खातेदारी वादीगण को अपने पिता जगदीशप्रसाद के पक्ष में हुए तमलीकनामा के जरिये प्राप्त हुई है। और कुल भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त है यदि प्रतिवादी उक्त वसीयत से चक 6 बारानी की भूमि का नामान्तरण ही अपने पक्ष में करवा लेता है तो वादीगण के हक प्रभावित होते है इसलिए वादीगण यह घोषणा करवाने के मजाज कानूनी है कि चक 6 बारानी में सरस्वती पत्नी रामेश्वर के नाम दर्ज कुल 303/6325 हिस्सा व चक 1 बीएचडी में कृष्ण कुमार पुत्र गौरीशंकर के नाम दर्ज 611/6325 हिस्सा में से 303/6325 हिस्सा के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि में वादीगण तथा प्रवितादी सं0 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। व प्रतिवादी सं0 4 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी जैसरूप पुत्र जगदीशप्रसाद के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (ज़िला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने चक 6 बारानीः— मु0 न0 9 किला न0 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, मु0 न0 10 किला न0 10 ता 14, 16 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 11 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 19, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 19 किला न0 1 ता 10, 13 ता 15, मु0 न0 20 किला न0 1 ता 15, मु0 न0 21 किला न0 1, 2, 9 ता 12, मु0 न0 33 किला न0 1, 2, 9 व 12 कुल रकबा 18.975है0 जिसमे से बारानी 18.060है0, गै0 मु0 रास्ता 0.156है0, नहरी 0.759है0 दर्ज है में सरस्वती पत्नी रामेश्वर के नाम से 303/6325 हिस्सा यानि 0.909है0 दर्ज है उक्त वाद भमि में से सरस्वती पत्नी रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादीगण सं0 1 जैतरूप, वादीगण सं0 2 बलवान, वादीगण सं0 3 सुभाष के नाम बहिस्सा बराबर 0.656है0 व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार के नाम 0.253है0 के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 6 बारानीः— मु0 न0 9 किला न0 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, मु0 न0 10 किला न0 10 ता 14, 16 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 11 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 19, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 19 किला न0 1 ता 10, 13 ता 15, मु0 न0 20 किला न0 1 ता 15, मु0 न0 21 किला न0 1, 2, 9 ता 12, मु0 न0 33 किला न0 1, 2, 9 व 12 कुल रकबा 18.975है0 जिसमे से बारानी 18.060है0, गै0 मु0 रास्ता 0.156है0, नहरी 0.759है0 दर्ज है में सरस्वती पत्नी रामेश्वर के नाम से 303/6325 हिस्सा यानि 0.909है0 दर्ज है, में से सरस्वती पत्नी रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादीगण सं0 1 जैतरूप, वादीगण सं0 2 बलवान, वादीगण सं0 3 सुभाष के नाम बहिस्सा बराबर 0.656है0 व प्रतिवादी सं0 1 कृष्णकुमार को 0.253है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner